



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

Dr. Rajendra Prasad Mishra

कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 011/2016/प्र.स.शि.सु.आ./110/336

तिथि: 11.07.2016

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विवरणिका 2016-17 के पृष्ठ संख्या 10 पर निर्धारित नियम 'अर्हताकारी परीक्षा और स्नातकोत्तर में प्रवेश के बीच 03 वर्ष के अंतराल' को विद्या-परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में संशोधित कर 'अंतिम अध्ययन से स्नातकोत्तर में प्रवेश के बीच 03 वर्ष से अधिक का अंतराल न हो' किया जाता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. सभी विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं प्रभारियों से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ।
5. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)।
6. सहायक कुलसचिव (परिषद) को विद्या-परिषद की आगामी बैठक की कार्यसूची में शामिल करने के लिए।
7. परीक्षा विभाग।
8. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. संबंधित फाइल